राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 55/झुं/2000-2001

प्रमाणित किया जाता है कि जन कल्याण वेलफेयर सोसायटी सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक नौ माह जून सन् दो हजार को झुन्झुनू में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ

रजिस्ट्रार संस्थायें

झुन्झुनू (राज.)

प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्य प्रति है।
प्रलेख पढ़ने वाले के ...
मिलान सुनने वाले के ...
नकल हेतु प्रार्थना पत्र देने की दि० ...
तैयार करने की दि० 17.9.2001
नकल देने की दिनांक ... [illegible]

रजिस्ट्रार संस्थाएं
झुंझुनूं (राज०)

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण हेतु

आवेदन—पत्र

जन कल्याण वेलफेयर समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था सोसायटी, सूरजगढ़

संघ विधान-पत्र

1 संस्था का नाम : इस संस्था का नाम जन कल्याण वेलफेयर सोसाइटी सूरजगढ़ समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा

2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय प्रकाश क्लिनिक, सूरजगढ़ तह० सूरजगढ़ है तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला झुं-झुनू समस्त क्षेत्र तक सीमित होगा।

3 संस्था उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1 चिकित्सा शिक्षा के विकास और जनता को चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए।
2 जनता की शिक्षा और शिक्षा का विकास करना।
3 हर्बल दवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान तथा जनता को हर्बल दवाओं की शिक्षा व ज्ञान देना।
4 जनता को नई विकसित चिकित्सीय खोजें और इलेक्ट्रो-होम्योपैथी, एरोमा थैरेपी, रेकी, मैग्नेट थैरेपी, एक्युप्रेशर, एक्युपंक्चर, नेचुरोपैथी व अन्य तकनीक
5 प्रयोगशालाएं, चिकित्सीय जांच उनके अध्ययन से जनता की सेवा, औषधियों के अनुसंधान, जनता को शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान करना।
6 चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में [illegible] लोगों में अनुसंधान, [illegible] कार्यशालाएं संचालित करना। जनस्वास्थ्य सेवाओं के लिए [illegible] आयोजन, जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करना।
7 कम्प्यूटर शिक्षा विकास कार्य, जनता को कम्प्यूटर शिक्षा में शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4 संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	चौधरी जयमल राम, S/o श्री किशन राम हलवान	किसान	गांव: पन्नेसिंहपुरा पो: भूदरपुरा तह चिड़ावा	संरक्षक
2	डा० योगेन्द्र सिंह हलवान S/o श्री ओम सिंह	डॉक्टर	मु०पो० पन्नेसिंहपुरा (जायद)	अध्यक्ष
3	डा० प्रकाश जांगिड़ S/o श्री मनफूल जांगिड़	डॉक्टर	निया वार्ड नम्बर सूरजगढ़	उपाध्यक्ष
4	डा० मनफूल जांगिड़ S/o श्री कालूराम जी	डॉक्टर	वार्ड नं० -3 सूरजगढ़	सचिव/मंत्री
5	जुगलकिशोर S/o श्री हिम्मताराम	किसान	गांव: पन्नेसिंहपुरा पो: भूदरपुरा तह चिड़ावा	सहसचिव
6	श्रीमती सुनीता W/o मनोज	गृहिणी	एफ-21 (पिलानी)	कोषाध्यक्ष
7	श्री रमन मित्तल S/o पुरुषोत्तम मित्तल	दुकानदारी	वार्ड नं. 11 मु०पो० सूरजगढ़	सदस्य
8	श्री मनोज S/o सांवरमल	〃	वार्ड नं. 15 मु०पो० सूरजगढ़	सदस्य

अध्यक्ष — [signature]   मंत्री — [signature]   कोषाध्यक्ष — [signature]

5 हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता, जिनके नाम व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं इस संविधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठन होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं:-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	चौ. जमनत राम S/o श्री किशना राम हलवान	किसान	गांव: पन्नेसिंह पुरा पो: सूरजपुरा तह: चिड़ावा	[illegible]
2	डा. योगेन्द्र सिंह हलवान S/o श्री ओम सिंह	डॉक्टर	मु.पो. पन्नेसिंहपुरा (झुंझुनू)	[illegible]
3	डा. प्रकाश जांगिड़ S/o मनफूल जांगिड़	डॉक्टर	नियर वार्ड [illegible] सूरजगढ़	[illegible]
4	डा. मनफूल जांगिड़ S/o श्री कालूराम	डॉक्टर	वार्ड नं. 13 सूरजगढ़	[illegible]
5	सुभवीर सिंह S/o श्री किशनाराम	किसान	गांव: पन्नेसिंहपुरा पो: सूरजपुरा त. चिड़ावा	[illegible]
6	श्रीमती सुनीता W/o मनोज	गृहणी	एफ-21 पिलानी	सुनीता
7	राकेश मित्तल S/o श्री पुरुषोत्तम लाल	दुकानदार	वार्ड नं 11 सूरजगढ़ [illegible]	
8	सतीश गुप्ता S/o श्री सरदार चन्द	दुकानदार	वार्ड नं. 15 सूरजगढ़ [illegible]	[illegible]
9	महिपाल S/o श्री [illegible]	किसान	गांव: पन्नेसिंहपुरा पो: सूरजपुरा त: चिड़ावा	[illegible]
10	रोशन लाल S/o श्री सरदार चन्द	दुकानदार	वार्ड नं-15 सूरजगढ़	[illegible]
11	[illegible] S/o श्री [illegible]	दुकानदार	वार्ड नं -15 सूरजगढ़	[illegible]
12				
13				
14				
15				

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 55/झुं/2000-2001
2. संस्था का नाम जनकल्याण वेलफेयर सोसायटी सूरजगढ़
3. फिस्म दस्ता वेज [illegible]
4. दस्ता वेजों की संख्या अध्यक्ष विधान पत्र
5. दिनांक पंजीयन 09-6-2001
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार [illegible]

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्त्ताओं को हम जानते है व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

अशोक मित्तल

1 हस्ताक्षर (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

2 हस्ताक्षर (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

नाम संस्था ... जन कल्याण वेलफेयर समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था सोसायटी, सुरजगढ़

विधान (नियमावली)

1 संस्था का नाम : इस संस्था का नाम जन कल्याण वेलफेयर सोसायटी समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा

2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय मार्फत प्रकाश क्लीनिक मु० पो० सुरजगढ़ सुरजगढ़ है तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला झुन्झुनूं सम्पूर्ण क्षेत्र तक सीमित होगा।

3 संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1 चिकित्सा शिक्षा के विकास और जनता को चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए।

2 जनता की शिक्षा और शिक्षा का विकास करना।

3 हर्बल दवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान तथा जनता को हर्बल दवाओं की शिक्षा प्रदान करना।

4 जनता को नई वैकल्पिक चिकित्सीय शाखाएं जैसे - इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, होम्योपैथी, रेकी, मैग्नेट [illegible] थेरापी, एक्युपंचर, नैचुरोपैथी, अन्य वैकल्पिक और [illegible]

5 प्रयोगशाला की चिकित्सीय [illegible], उनके माध्यम से जनता की सेवा, क्षेत्र में अनुसंधान।

6 जनता को शिक्षा [illegible] प्रदान करना। चिकित्सीय विज्ञान के क्षेत्र में सेमिनार एवं कार्यशालाएँ आयोजित करना।

7 जन स्वास्थ्य [illegible] के लिए कैम्पों का आयोजन, जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करना। 8. [illegible] शिक्षा [illegible] जनता को [illegible] शिक्षा [illegible] प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4 सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1-संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2-बालिग हों।

3-पागल, दीवालिये न हों।

4-संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5-संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5 सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1-संरक्षक

2-विशिष्ट

3-सम्माननीय

~~4-साधारण~~

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये।)

6 सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

: 1–संरक्षक राशि 40,000/- वार्षिक/आजन्म

: 2–विशिष्ट राशि 5000/- वार्षिक/आजन्म

: 3–सम्माननीय राशि 3000/- वार्षिक

: साधारण राशि .... वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. .... की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

7 सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा।

1-मृत्यु होने पर 2 त्याग पत्र देने पर
3-संस्था के उद्देश्यों के विपरित कार्य करने पर
4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा का बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8 साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9 साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे।

1 प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2 वार्षिक बजट पारित करना।
3 प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4 संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराये जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा

10 साधारण सभा की बैठकें : 1 साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2 साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3 बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व आत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जावेगी। जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर बुलाई जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।
5 संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे,

11 कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1 अध्यक्ष-एक 2 उपाध्यक्ष-एक 3 मंत्री-एक 4 कोषाध्यक्ष-एक
5 सदस्य-~~तीन~~ दो 6- संरक्षक-एक 7. सहसचिव एक
(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें कम रखना चाहें तो कम रख लें।

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में......6 (छः)......पदाधिकारी व.....2 (दो).....सदस्य कुल......8 (आठ)...सदस्य होंगे।

12 कार्यकारिणी का निर्वाचन : 1 संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2 चुनाव प्रत्यक्ष/~~अप्रत्यक्ष~~ प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3 चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13 कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे
1 सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2 वार्षिक बजट तैयार करना।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

3 संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4 वेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना सेवा मुक्त करना।

5 साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6 कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7 अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

14 कार्यकारिणी की बैठक :

1 कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2 बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3 बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिपालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

5 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान, समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15 प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

(क) अध्यक्ष

1 बैठक की अध्यक्षता करना।

2 मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3 बैठक आहूत करना।

4 संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5 संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(ख) उपाध्यक्ष

1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2 प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

(ग) मंत्री

1 बैठकें आहूत करना। 2 कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

3 आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4 वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5 संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6 पत्र व्यवहार करना। 7 सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

(घ) उप मंत्री

1 मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2 अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।

(ङ) कोषाध्यक्ष

1 वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2 दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3 चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

K Halway
अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

16 संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1 चन्दा 2 शुल्क 3 अनुदान 4 सहायता 5 राजकीय अनुदान

(क) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी।

(ख) अध्यक्ष, मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17 कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार –

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकें,

1 अध्यक्ष 30,000/- रु.

2 मंत्री 50,00/- रु.

3 कोषाध्यक्ष 3000/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी :

प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्यप्रति है।
प्रार्थना पत्र देने वाले के [illegible]
[illegible] 16-[illegible]
[illegible] दि० [illegible]
नकल तैयार करने की दि० 17-9-2[illegible]
नकल देने की दिनांक [illegible]
रजिस्ट्रार संस्थाये
झुन्झुनू (राज०)

18 संस्था का अंकेक्षण :-

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराया जावेगा।

19 संस्था के विधान में परिवर्तन :-

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20 संस्था का विघटन :-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21 संस्था के लेखा जोखे का निरीक्षण :-

रजिस्ट्रार संस्थायें झुन्झुनू को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

22 वित्तीय वर्ष :-

संस्था का वित्तीय वर्ष अप्रेल से मार्च होगा। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) जन कल्याण वैल फेयर सोसायटी सूरजगढ समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 55/जं/2000-2001
2. संस्था का नाम जन कल्याण वैल फेयर सोसायटी सूरजगढ
3. [illegible] विधान नियमावली
4. [illegible] पेजों की संख्या चार 402
5. दिनांक पंजीयन 09-6-2000
6. [illegible] रजिस्ट्रार संस्थाएं [illegible]

अध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्थाये
झुन्झुनू (राज०)

मंत्री

कोषाध्यक्ष

जन कल्याण वेलफेयर सोसायटी सूरजगढ़

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गयाहै जो निम्न है।

संशोधित उद्देश्यों का विवरण:-

1. चिकित्सा शिक्षा के विकास और जनता को चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए।
2. जनता की शिक्षा और शिक्षा का विकास करना।
3. हर्बल दवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान तथा जनता को हर्बल दवाओं की शिक्षा व ज्ञान देना।
4. जनता को नई चिकित्सीय शाखाऐं जैसे:- इलेक्ट्रोपैथी, एरोमा थैरेपी, रैकी, मैग्नेट थैरेपी, एक्युप्रेशर, एक्युपंचर, नेचुरोपैथी एवं अन्य बैकल्पिक थैरेपियों के अनुसंधान।
5. प्रयोगशालाओं, चिकित्सीय जॉन्च, उनके अध्ययन से जनता की सेवा, क्षेत्र में अनुसंधान, जनता को इसमें शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान करना।
6. चिकित्सीय विज्ञान के क्षेत्र में सेमीनार एवं कार्यशालाओं का संचालन करना।

Y.C. Malwan (अध्यक्ष) ओमसिंह (सचिव/मंत्री) सुनिता (कोषाध्यक्ष)

जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कैम्पों का आयोजन, जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करना।

8. कम्प्युटर शिक्षा में विकास कार्य, जनता को कम्प्युटर विज्ञान की शिक्षा एंव ज्ञान प्रदान करना।

9. आम जन को तकनिकी शिक्षा प्रदान करना।

10. आम जन को व्यवसायीक शिक्षा प्रदान करना।

11. आम जन को पशुपालक शिक्षा प्रदान करना।

12. चिकित्सा एव नर्सीग शिक्षा प्रदान करना।

Halwan (अध्यक्ष) | ओमप्रकाश (सचिव/मंत्री) | सुनिता (कोषाध्यक्ष)

प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्यप्रति है।
हस्ताक्षर पढ़ने वाले के ...
हस्ताक्षर सुनने वाले के ...
नकल हेतु प्रार्थना पत्र देने की दि० ...
नकल तैयार करने की दिनांक ...
नकल देने की दिनांक ... -08

Jan Kalyan "Welfare" Society

Working Office . F-67, Industrial Area
PILANI, Distt. Jhunjhunu (Raj.)
Ph. : 01596 - 245698

नव निर्वाचित कार्यकारिणी

क्र.सं.	नाम	पिता / पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद	हस्ताक्षर
1	श्रीमती सुनिता	श्री योगेन्द्र सिंह	शिक्षिका	गॉव–पन्नेसिंहपुरा,पो.भुडनपुरा ,तह–सुरजगढ,जिला–झुझुनूं	अध्यक्ष	सुनिता
2	श्रीमती इन्दु जागिड	डॉ.प्रकाश जागिड	शिक्षिका	वार्ड नं 03 ,तह सुरजगढ,जिला–झुझुनूं	उपाध्यक्ष	Indu
3	इंजि.मोहित	श्री रघुवीर सिंह	व्यवसायी	गॉव–पन्नेसिंहपुरा,पो.भुडनपुरा ,तह–सुरजगढ,जिला–झुझुनूं	सचिव (मंत्री)	Choudhary
4	श्रीमती अभिलाषा	पत्नि श्री मोहित	शिक्षिका	गॉव–पन्नेसिंहपुरा,पो.भुडनपुरा ,तह–सुरजगढ,जिला–झुझुनूं	कोषाध्यक्ष	अभिलाषा चौधरी
5	श्रीमती कविता	पत्नि श्री वेदप्रकाश	शिक्षिका	गॉव–[illegible]लिया ,तह–महेन्द्र गढ,जिला–नारनौल	सदस्य	Kavita
6	श्रीमती पंकज	पत्नि श्रीरविन्द्र	शिक्षिका	गॉव–पन्नेसिंहपुरा,पो.भुडनपुरा ,तह–सुरजगढ,जिला–झुझुनूं	सहसचिव	Pankaj
7	डॉ.रविन्द्र	श्री रघुवीर सिंह	पशुचिकित्सक	गॉव–पन्नेसिंहपुरा,पो.भुडनपुरा ,तह–सुरजगढ,जिला–झुझुनूं	सदस्य	Ravi

सुनिता
अध्यक्ष / सचिव
जन कल्याण वेलफेयर सोसायटी
पिलानी (झुंझुनूं)

Choudhary
अध्यक्ष / सचिव
जन कल्याण वेलफेयर सोसायटी
पिलानी (झुंझुनूं)

अभिलाषा चौधरी
कोषाध्यक्ष
जन कल्याण वेलफेयर सोसायटी
पिलानी (झुंझुनूं)

जनकल्याण वेलफेयर सोसायटी पिलानी समिति/संस्था/संस्थान ने
अपनी समिति से सम्बन्धित पत्रादि प्रस्तुत
किये जो सम्बन्धित पत्रावली में सूचिबद्ध
किये गये जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या
...21... से ...2... तक हैं।
22/3/17
रजिस्ट्रार संस्थायें
झुंझुनूं

JJN. (RAJ.)

Jan Kalyan "Welfare" Society

Working Office : F-67, Industrial Area
PILANI, Distt. Jhunjhunu (Raj.)
Ph. : 01596 - 245698

दिनांक - 20/04/2017

वर्तमान समिति के सदस्यों की सूची -

क्रसं.	नाम	उम्र	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	डॉ॰ योगेन्द्र सिंह	40वर्ष	चिकित्सक	YSHalwan
2	श्रीमती सुनीता	36वर्ष	शिक्षिका	सुनिता
3	श्रीमती इन्दु जांगिड	37वर्ष	शिक्षिका	Indu
4	श्रीमती अभिलाषा	25वर्ष	शिक्षिका	अभिलाषा चौधरी
5	श्रीमती पंकज	25वर्ष	शिक्षिका	Pankaj
6	श्रीमती कविता	28वर्ष	शिक्षिका	Kavita
7	श्रीमती सरिता	45वर्ष	शिक्षिका	सरिता
8	श्री महीपाल सिह झाझडिया	50वर्ष	शिक्षक	Mahipal
9	डॉ॰ रविन्द्र कुमार	30वर्ष	पशु चिकित्सक	Ravi
10	इंजि॰ मोहित कुमार	26वर्ष	व्यवसायी	Choudhary
11	श्री बद्रीप्रसाद चोपडा	45वर्ष	शिक्षक	BPChopra
12	श्री किशोरी लाल सैनी	42वर्ष	अकाउन्टेंट	किशोरी
13	श्री नरेन्द्र कुमार सैनी	40वर्ष	नौकरी	नरेन्द्र
14	श्री प्रकाश चन्द जांगिड	42वर्ष	नौकरी	PCJangir
15	श्री हरफुल ढोलिया	52वर्ष	कृषि	Harphool
16	श्री जुगवीर सिंह	50वर्ष	कृषि	Jugveer
17	श्रीमती सन्तोष सैनी	40वर्ष	शिक्षिका	Santosh
18	श्री अजय पंघाल	30वर्ष	शिक्षक	अजय
19	डॉ॰ संजय	31वर्ष	पशु चिकित्सक	Sanjay
20	श्रीमती सुनीता पंघाल	29वर्ष	शिक्षिका	Sunita
21	श्री ओमसिह हलवान	27वर्ष	कृषि	ओमसिंह

सुनिता
अध्यक्ष / सचिव
जन कल्याण वेलफेयर सोसायटी
पिलानी (झुंझुनू)

Choudhary
अध्यक्ष / सचिव
जन कल्याण वेलफेयर सोसायटी
पिलानी (झुंझुनू)

अभिलाषा चौधरी
कोषाध्यक्ष
जन कल्याण वेलफेयर सोसायटी
पिलानी (झुंझुनू)